रजिस्ट्री सं० डी० 221 REGISTERED No. D. 221

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शुक्रवार, जनवरी 14, 1972/पौष 24, 1893

No. 21] NEW DELHI, FRIDAY, JANUARY 14, 1972/PAUSA 24, 1893

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

MINISTRY OF STEEL AND MINES

(Department of Mines)

ORDER

New Delhi, the 12th January 1972

G.S.R. 27(E).—In pursuance of the provisions of sub-section (7) of section 5 of the Coking Coal Mines (Emergency Provisions) Act, 1971 (No. 64 of 1971), the Central Government hereby appoints the Bharat Coking Coal Private Limited Dhanbad, a Government Company incorporated under the Companies Act, 1956, (1 of 1956), as the Custodian of all the coking coal mines specified in the First Schedule, and all the Coke Oven Plants specified in the Second Schedule to that Act, for the proper management of such mines and coke oven plants, with effect from the 12th day of January, 1972.

[No. 19(I)/72-CI.]

S. B. LAL, Jt. Secy.

इस्पात और खान मंत्रालय

(खान विभाग)

आदेश

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 1972

सा०का०नि० 27(इ).—कोक कोयला खान (अर्पण उपबन्ध) अधिनियम, 1971 (1971 का स० 64) की धारा 5 की उपधारा (7) के उपबन्धों के अनुसरण में केन्द्रीय सरकार भारत कोकिंग कोल प्राइवेट लिमिटेड, धनबाद, कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का 1) के अधीन नियमित सरकारी कम्पनी को, उस अधिनियम की प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी कोक कोयला खानों और द्वितीय अनुसूची में विनिर्दिष्ट सभी कोक भट्टी प्लांटों के, ऐसी खानों और कोक भट्टी प्लांटो के उचित प्रबन्ध के लिए 12 जनवरी, 1972 से अभिरक्षक के रूप में एतद्द्वारा नियुक्त करती है ।

[स० 19(1)/72-को०]

शरण बिहारी लाल, संयुक्त सचिव ।

PRINTED BY THE GENERAL MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, MINTO ROAD, NEW DELHI AND PUBLISHED BY THE MANAGER OF PUBLICATIONS, DELHI, 1972